निर्णय ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 58/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. प्रहलाद पुत्र स्व॰ श्री महादेव
2. कालूराम पुत्र स्व॰ श्री महादेव
3. मन्नालाल पुत्र स्व॰ श्री महादेव
4. बाबूलाल पुत्र स्व॰ श्री महादेव

जाति रेगर, निवासी ग्राम बिन्दायका, तहसील एवं जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री सोहन लाल जाति रेगर हाल निवासी ग्राम मनोहरपुरा, पोस्ट जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थी/वादिया

2. तहसीलदार जयपुर, जिला जयपुर
3. उप पंजीयक तृतीय, जिला जयपुर ।

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5–व 6

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 16/2018 ब उनवानी मीरा देवी बनाम प्रहलाद व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री नीरज मुवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. महेश चन्द मौर्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 05.05.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 16/2018 ब उनवानी मीरा देवी बनाम प्रहलाद व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री महेश चन्द मौर्य ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 वादिया की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता रामवतार मौर्य व महेश मौर्य उसके पुत्र है तथा स्थानीय स्तर पर वकालत करते है। उक्त विचाराधीन प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत प्रार्थीगण 1 ता 4 की ओर से पूर्व से ही उक्त भूमि के विभाजन के दावे कमशः दावा संख्या 95/2012 उनवानी प्रहलाद व अन्य बनाम हरिनारायण व अन्य, दावा संख्या 33/2015 उनवानी प्रहलाद व अन्य बनाम नन्द किशोर व अन्य एवं दावा संख्या 34/2015 उनवानी प्रहलाद व अन्य बनाम नन्द किशोर व अन्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये हुये है। उक्त तीनों राजस्व वाद प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से वाद पत्र उक्त अधिवक्ता श्री रामवतार मौर्य द्वारा ही पेश कर पैरवी की गई है उक्त वाद वर्तमान में भी न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 1 वादिया की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता श्री रामवतार मौर्य प्रकरण में हर पेशी पर न्यायालय पर यह कह कर दबाव बनाता है कि उक्त प्रकरण उसका निजी प्रकरण है तथा अधीनस्थ न्यायालय के रीडर एवं पीठासीन अधिकारी अकसर अधिवक्ता के दबाव में कार्य करते है एवं इसी कारण से प्रार्थीण/प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे न्याय किये जाने पर शंका है तथा उन्हें इस बात की आशंका भी है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादिया के पुत्र अधिवक्ता द्वारा अपना स्वयं का प्रकरण बता कर अधीनस्थ न्यायालय से अनुचित प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। प्रत्येक तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 वादिया के अधिवक्ता पुत्र सायं 5.30 बजे तक इसलिए इंतजार किया जाता है कि आगामी तारीख पेशी उनकी इच्छानुसार प्रदान की जा सके। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 गरीब एवं अनपढ तथा ग्रामीण तबके के होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना विरोध नहीं कर पाते तथा जब कभी विरोध करते है तो अधीनस्थ न्यायालय के रीडर एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा विरोध को यह कह कर दरकिनार कर दिया जाता है कि प्रकरण स्वयं अधिवक्ता का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन प्रकरण को अधिवक्ता का स्वयं का बता कर अनावश्यक रूप से प्राथमिकता पर लिया जाता है, जिससे प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को यह आशंका हो गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारियों से न्याय सम्भव नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मन्शा से झूठे एवं मनघढन्त आरोप लगाते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। फिर भी न्यायालय यदि उचित समझते तो निस्तारण के लिए समयावधि नियत कर के अन्यत्र मुन्तकिल कर दिया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नहीं होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उप खण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 16/2018 व उनवानी मीरा देवी बनाम प्रहलाद व अन्य को न्यायालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31.05.2022 को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) में उपस्थित हो।

9. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर यथा सम्भव 3 माह में निस्तारण करना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

05/05/22

(राजन विशाल)
जिला कलक्टर
जयपुर